नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3-9-19 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-10-19 को पेश हो। रीडर	
	7-10-19 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-11-19 को पेश हो। रीडर	
	5-11-19 वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ~~को~~ सुना गया। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 20-11-19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	
	20-11-19 वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी का प्रा०पत्र तहत ~~आदेश~~ 251(A) R. T. Act अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

मुकदमा नम्बर तारीख रजू तारीख निर्णय
87/2015 8.6.2015 20.11.2019

1. मिट्ठूलाल पुत्र चिरंजी, गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2. जगदीश प्रसाद पुत्र चिरंजी, गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
3. फूली बेबा चिंरजी,गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर ——प्रार्थीगण

बनाम

1. फूल चंद पुत्र दौजी, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
2. फूलबाई पुत्री दौजी, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
3. पृथ्वीराजी पुत्र परसादी, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
4. सुरेश चंद पुत्र परसादी, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
5. सरवणी बेबा परसादी, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
6. रामप्रसाद पुत्र श्योनारायण, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
7. बाबूलाल पुत्र श्योनारायण, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
8. छुट्टनलाल पुत्र श्योनारायण, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
9. निलासी पुत्री श्योनारायण, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
10. सुखलाल पुत्र रामसुखा, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
11. जीवन पुत्र गिरधारी, बैरवा निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर
12. मिश्रया पुत्र सुन्दर, कोली निवासी महावर बस्ती डूंडीपुरा तह0 सपोटरा
13. राजू पुत्र गिर्राज, गुर्जर निवासी डूंडीपुरा
14. विमला बेबा गिर्राज, गुर्जर निवासी डूंडीपुरा
15. नवल पुत्र मिश्रया, गुर्जर निवासी डूंडीपुरा
16. रामकेश पुत्र मिश्रया , गुर्जर निवासी डूंडीपुरा
17. रतनी बेबा मिश्रया, गुर्जर निवासी डूंडीपुरा
18. कंचन पुत्र भोला, गुर्जर निवासी डूंडीपुरा
19. रामजीलाल पुत्र भोला , गुर्जर निवासी डूंडीपुरा
20. जगन लाल पुत्र मन्नालाल महाजन निवासी गंगापुर सिटी——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री रामकिशोर शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री प्रकाश चंद शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी न0 2 व 9 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 1038 रकबा 2.28 है0 ग्राम गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। उक्त खेत पर आने जाने का एक मात्र रास्ता, आम रास्ते से ख0न0 1036 की दक्षिणी सीमा व खेत ख0न0 1039 व 1040 की उत्तरी सीमाओ के मध्य होकर रहा है। जिसको प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के बुजुर्ग हमेशा से अपने उपयोग उपभोग मे लेते रहे है। इसी रास्ते मे होकर प्रार्थीगण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अपना ट्रेक्टर वगैरा लाते, ले जाते रहे है। इस्त रास्ते के अलावा कोई और रास्ता प्रार्थीगण के खेत पर जाने का नही है। अब भी मौके पर रास्ते के रूप मे उसका उपयोग कर रहे है। ख0न0 1036 अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 11, खसरा 1039 अप्रार्थी 12, ख0न0 1040 अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 20 की खातेदारी मे दर्ज है। दिनांक 27.5.15 को प्रार्थी जगदीश अपने खेत ख0न0 1038 की जुताई करने हेतु उक्त रास्ते मे होकर ट्रेक्टर लेकर जा रहा था तो अप्रार्थीगण मौके पर आ गये और प्रार्थी को आइन्दा उक्त रास्ते मे होकर आने से मना कर दिया और धमकी दी कि उक्त रास्ते मे होकर ट्रेक्टर वगैरा लेकर गये तो बुरी तरह मार पिटाई करेगें और रास्ते को उपयोग मे नही लेने देंगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 1036 की दक्षिणी सीमा व ख0न0 1039, 1040 की उत्तरी सीमाओ के मध्य उक्त तीनो खसरा नम्बरो मे से 20 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को अपने खेत ख0न0 1038 पर आने जाने के लिए दिलवाया जावे। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि का डीएलसी दर से मुआवजा राशि देने को तैयार है। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण को उपरोक्त रास्ते के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा झगडा फसाद नही करे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 बाबत ख0न0 1038 खाता प्रार्थीगण, नकल जमाबंदी संवत 2069–72 खसरा नम्बर 1036, 1039, 1040 खाता अप्रार्थीगण, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 व 9 की ओर से श्री प्रकाश चंद शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं अपना जबाब प्रस्तुत किया। जिसमे अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को ख0न0 136 मे से 10 फिट चौडा रास्ता दिये जाने मे अपनी सहमति दी है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/18/21 दिनांक 28.1.19 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अपनी रिपोर्ट मे तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अंकित किया है कि ख0न0 1016 गैर मुमकिन रास्ता से ख0न0 1038 पर पहुचने के लिए वर्तमान मे दो रास्ते बने हुए है। जिनमे एक रास्ता ख0न0 1036 की दक्षिणी मेड से निकल रहा है। जिसकी लम्बाई 80 मीटर और चौडाई 5 मीटर है। दूसरा रास्ता ख0न0 1036 की दक्षिणी मेड से ख0न0 1039 की पूर्वी एवं दक्षिणी मेड मे होकर ख0न0 1038 मे मिलता है। जिसकी लम्बाई 180 मीटर व चौडाई 5 मीटर है। इस प्रकार सबसे कम दूरी का रास्ता ख0न0 1036 मे से है। ख0न0 1036 की खातेदारी पूरण पुत्र दौजी हिस्सा 1/10 जाति बैरवा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

[illegible] के नाम है। मौके पर पूछताछ की गई तो बताया गया कि ख0न0 1038 व 1039 के खातेदार गॉव मे निवास नही करते है।

बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 1038 पर जाने हेतु ख0न0 1036 की दक्षिणी मेड पर से रास्ता मांगा है। ख0न0 1036 की खातेदारी [illegible] पुत्र दौजी, पूरणबाई पुत्री दौजी, पृथ्वीराज पुत्र परसादी, सुरेशचंद पुत्र परसादी, सरवणी बेबा परसादी, रामप्रसाद पुत्र श्योनारायण, बाबूलाल पुत्र श्योनारायण, छुट्टन पुत्र श्योनारायण, गिलासी पुत्री श्योनारायण, सुखलाल पुत्र रामसुखा, जीवन पुत्र गिरधारी जाति बैरवा की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण का रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ एक सहमति पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमे अप्रार्थीगण ने ख0न0 1036 मे से पूर्व से पश्चिम की ओर 10 फिट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण को देने हेतु अपनी सहमति दी है। इस सहमति पत्र पर अप्रार्थी पूरणबाई, गिलासी के हस्ताक्षर नही है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि मे होकर रास्ता चाह रहे है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति वर्ग के खातेदार काश्त कार है। प्रार्थीगण इस वर्ग के व्यक्ति नही है। ऐसी स्थिति मे हमारी राय मे यहॉ यह प्रकरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.24 12:31:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: